

कार्यालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर

पत्रोंक / २२७४ स०प्र०द०-त०निय० / २०१७-१८

दिनांक 2.12.2017

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या-397/6-पु0-15-2017 दिनांक 14 नवम्बर 2017 के कम मे सिगरेट तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय, और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 (सी0ओ0टी0पी0ए0-2003) के प्रभावी कियान्वयन तथा सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान निषेध/तम्बाकू उत्पादों को हतोत्साहित करने एवं अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जनपद स्तरीय प्रवर्तन दल का गठन किया जाता है। प्रवर्तन दल का स्वरूप निम्नवत् है:-

जनपद स्तरीय प्रवर्तन दल

कम सं०	पदनाम	समिति मे पदनाम
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
5	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
6	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
7	मुख्य खाद्य निरीक्षक	सदस्य

जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर
तददिनांकित

पत्रोंक / स०प्र०द०-त०निय० / २०१७-१८
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- प्रमुख सचिव, उप्रेक्षा वाले शासन लखनऊ।
- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उप्रेक्षा लखनऊ।
- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
- जिला विद्यालय निरीक्षक, अम्बेडकरनगर।
- बेसिक शिक्षा अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
- मुख्य खाद्य निरीक्षक अम्बेडकरनगर।
- पू०पी०ती०स्च०स० - लक्ष्मण

जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर